बाल अधिकार सप्ताह 2011

(14 नवम्बर 2011 से 20 नवम्बर 2011)

राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण साझा अभियान तथा खिलती कलियॉ नेटवर्क एक्शन एड् राजस्थान के सहयोग से प्रतिवर्ष 14 से 20 नवम्बर तक बाल अधिकार सप्ताह का आयोजन करता है। इसमें राज्य में अभियान की सहयोगी संस्थाओं के साथ मिल कर जिला स्तर पर कई गतिविधियॉ आयोजित की जाती है।

इस वर्ष भी अभियान व खिलती कलियॉ नेटवर्क द्वारा इस सप्ताह को आयोजित किया।

पूर्व तैयारी बैठक

दिनांक 10 नवम्बर को अभियान की सहयोगी संस्थाओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस बैटक में कोटा, बुंदी, सीकर, चितौड़गढ नागौर सवाईमाधोपुर व जयपुर की संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान सदस्यों ने अपने–अपने जिलों में सम्भावित गतिविधियों को तय किया गया। (देखें परिशिष्ठ–1)

जयपुर शहर में बाल अधिकार सप्ताह का आयोजन

दिनांक– 14 नवम्बर

जयपुर में अभियान की सहयोगी संस्थाओं एफ.एक्स.बी. बाल सुरक्षा, टाबर संस्था, सीफार, सुरमन संस्था, आर.आइ.एच.आर. व खिलती कलियॉ जयपुर ने बाल अधिकार सप्ताह का सयुक्त रूप से आयोजन किया गया। सप्ताह के प्रथम दिन सभी संस्थाओं ने उनके यहॉ रह रहे बच्चों के साथ मिल कर सामुहिक कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम रेलवे स्टेशन के नजदीक गोपाल बाडी के सामुदायिक पार्क में आयोजित किया गया।

इस पार्क का चयन सभी की सहमति से किया गया। यहॉ बच्चों की सुरक्षा व खेलने की उत्तम व्यवस्था थी। यहॉ पार्क में बच्चों के झूले व साफ–सुथरा खुला मैदान था, किसी प्रकार का भारी वाहनों का आवागमन नहीं था। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस स्थान को उपयुक्त मान कर बच्चों के साथ गतिविधियों का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम में चार संस्थाओं के द्वारा संचालित गृहों व डे–केयर सेन्टर में आने वाले 70 बालक बालिकाओं ने भाग लिया। यह सभी बच्चे सड़क पर कचरा बीनने भीख मागने आदि का काम

करते हैं। इनमें से 30 बच्चे संस्था द्वारा संचालित गृह में रह रहे थे 25 बच्चे कच्ची बस्तियों में तथा शेष सड़क पर रह रहें थे।

बच्चों के साथ आयोजित गतिविधियॉ

10 नवम्बर की तैयारी बैठक में तय किया गया था कि इन बच्चों के साथ अधिकतर समय खेल–कूद व सांस्कृतिक गतिविधियॉ ही आयोजित करवायी जाएंगी अन्त में इनको चित्रकारी करवायी जायेगी।

सर्व प्रथम बच्चों के गतिविधि की शुरूआत आपसी परिचय से की गई। परिचय की गतिविधि को मनोरंजक बनाने के लिए गेंद की मदद से खेल खेल में बच्चों का परिचय लिया गया।

इसके उपरान्त बच्चों को तीन समूहों में बॉटकर उनके साथ अलग–अलग गतिविधियॉ आयोजित करवायी गई। सभी बच्चे मुख्य रूप से झूले व फिसल–पट्टी पर झूलने के लिए उत्साहीत थे। इसकी वजह यह भी थी कि इनमें अधिकांश बच्चे पहली बार इस तरह के पार्क में आये थे जहॉ वह बिना किसी भय के स्वछन्द तरीके से भाग दौड़ सकते थे अतः बच्चे शुरूआत में झूलों का आन्नद लेने के लिए

उत्साहित थें। इसलिये तीनों समूहों को बदल–बदल कर झूले व फिसल–पट्टी पर झूलने के लिए भेजा गया। इस दौरान अन्य दूसरे समूह के साथ खेल–कूद की अन्य गतिविधियॉ आयोजित करवायी गई। जो बच्चे झूले व फिसल–पट्टी पर झूलने के इच्छुक नही थें वे अन्य बच्चों के साथ खेलने में लग गये।

खेल–कूद के दौरान ही बच्चों भुख ना लगे इसके लिए उन्हें बिस्कूट व केला दे दिया गया था। जब सभी को महसुस होने लगा कि बच्चे थक गये है उनके साथ अन्य गतिविधि आयोजित की जानी चाहिए, बच्चे भी यही चाहते थे। सामुहिक रूप से तय किया गया कि बच्चों से चित्र बनवाये जाये ताकि ये बैठ कर कुछ कर सके। इसके लिए प्रत्येक बच्चे को एक एक कार्ड–शीट व रगं की डिबिया दे दी गई तथा उन्हे अपनी मर्जी से चित्र बनाने की छूट दी गई।

बच्चों द्वारा बनाये गये चित्र

बच्चों के साथ सांस्कृतिक गतिविधि

कार्यक्रम के अन्त में बच्चों के साथ सांस्कृतिक गतिविधि की गई जिसमें बच्चों ने गाने कविता नाच आदि किया इसमें संस्था के कार्मिकों ने भी बच्चों के साथ भाग लिया। इस सत्र में बच्चों द्वारा स्वयं ने फिल्मी गीत गाये तथा उस पर नाच किया। कुछ बच्चों ने मुख अभिनय के माध्यम से अपनी बात कही। टाबर संस्था से आये बच्चों ने अभिनय के माध्यम से बच्चों रेलवे स्टेशन पर बच्चों की स्थिति को बताया। 4 बजे सभी बच्चों को नाश्ता करा कर वापस भेज दिया।

दिनांक – 15 नवम्बर

भोजपुरा कच्ची बस्ती में समुदाय के साथ बैठक

सीफार संस्था के सहयोग से भोजपुरा कच्ची बस्ती में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक बस्ती के ऑगनबाडी केन्द्र पर आयोजित की गई। बैठक में 15 महिलाओं व 4 पुरूषों ने भाग लिया।

भोजपुरा कच्ची बस्ती सहकार मार्ग पर रेलवे लाईन के किनारे बसी हुई है। यहॉ मुख्य रूप से मुस्लिम व अनुसूचित जाति के लोग निवास करते है। बड़ी संख्या में पश्चिमी बंगाल से आये परिवार भी यहा निवास करते हैं। इस बस्ती से अधिकांश बच्चे आस–पास के निजी विद्यालयों में पढ़ने जाते है।

बैठक की शुरूआत आपसी परिचय व बैठक के उद्देश्य से की गई। इसके उपरान्त शिक्षा के अधिकार कानून के बारे में जानकारी दी गई। सभी लोगों का उत्साह अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिला दिलाने में था कि वह किस प्रकार अपने बच्चों को इन स्कूलो में भर्ती करा सकते हैं। इसके अपरान्त महिलाओं ने राशन की दुकान पर मिलने वाले आटे की गुणवत्ता को लेकर जानकारी चाही कि खराब आटे की शिकायत किसको तथा कैसे करें। दुकानदार आटा नहीं बदलता तो क्या करें। सभी को राशन की दुकान के सदर्भ में शिकायतों को सामुहिक रूप से उठाने तथा मिल कर जिला कलेक्टर व जिला रसद अधिकारी को शिकायत करने का सुझाव दिया गया। इसके उपरान्त दो महिलाए जो कि विधवा थी अपने बच्चों के लालन–पालन में में आ रही कठीनाई में सहयोग करने की बात कहने लगी। इन दोनों महिलाओं को पालनहार योजना के बारे में तथा सम्बन्धित अधिकारी व कार्यालय तथा फार्म आदि की पूरी जानकारी दी। अन्त में बैठक समाप्त कर दी गई।

दिनांक 16 नवम्बर

हसनपुरा कच्ची बस्ती में बैठक

दिनांक 16 नवम्बर को एफ.एक्स.बी. सूरक्षा संस्था के साथ मिलकर बस्ती में बैठक की गई। यह बैठक बस्ती के बीच मंदिर पर आयोजित की गई। बैठक में 15 महिलाओं भाग लिया। यह सभी महिलाएं घरों पर साफ–सफाई या कचरा बीनने का काम करती हैं। इस बस्ती में राज्य तथा बिहार के परिवार रहते है।

यह बस्ती जयपुर रेलवे स्टेशन के पीछे की ओर हैं। इस बस्ती में अधिकाशं बच्चे शिक्षा से वंचित है तथा ये सभी कचरा बीनने या भीख मांगने का काम करते हैं।

बैठक की शुरूआत आपसी परिचय व बैठक के उद्देश्य से की गई। इसके उपरान्त शिक्षा के अधिकार कानून के बारे में जानकारी दी गई। महिलाएं अपने बच्चों को पढाना तो चाहती हैं परन्तु उनके पास कोई विकल्प नहीं हैं सरकारी स्कूल में मास्टर पढ़ाते नहीं है बस्ती के बच्चों के साथ मार–पीट करते है अतः बच्चे स्कूल जाने डरते है। निजी विद्यालयों में पढाने के लिए रूपये नहीं है अतः बच्चे स्कूल से वंचित है। महिलाओं को शिक्षा अधिकार कानून की जानकारी दी तथा अपने बच्चों को सरकार विद्यालय अथवा निजी विद्यालय में भर्ती कराने के बारे में बताया। महिलाएं अधिक उम्र (9–14 साल) के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर ज्यादा चिंतित थी। इस बारे में उन्हें कानून के प्रावधान के बारे में बताया गया। इसके उपरान्त बाल श्रम में लगे बच्चों को काम पर जाने से रोकने के बारे में चर्चा की। सभी का कहना था कि यह पढने जाते ही नहीं हैं तो हम क्या करें स्कूल में मास्टर बैठाते नही है, काम करके 25–30 रूपये लाते है तो घर में मदद हो जाती है। बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए एफ.एक्स.बी. सूरक्षा संस्था व अभियान द्वारा मिल कर प्रयास करने भरोसा महिलाओं को दिया।

दिनांक 17 नवम्बर

सूत मील कच्ची बस्ती

दिनांक 17 नवम्बर को सीफॉर संस्था व एफ.एक्स.बी. सूरक्षा संस्था के साथ मिलकर बस्ती में बैठक की गई। यह बैठक बस्ती के बीच मंदिर पर आयोजित की गई। बैठक में 22 महिलाओं भाग लिया। यहॉ अधिकांश महिलाएं घरों पर साफ–सफाई या कचरा बीनने का काम करती हैं, कुछ महिलाएं कढ़ाई का काम करती है। इस बस्ती में राज्य के अन्य जिलों से आये अनुसूचित जाति व जन जाति के परिवार रहते है।

इस बस्ती में कुछ बच्चे निजी विद्यालयों में तथा कुछ सरकारी विद्यालयों में पढ़ने जाते है। बस्ती में यहॉ के कुछ बच्चों को एफ.एक्स.बी. सूरक्षा संस्था के सहयोग से निजी विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है जिनका स्कूल फीस संस्था द्वारा दी जाती हैं।

बैठक की शुरूआत आपसी परिचय व बैठक के उद्देश्य से की गई। इसके उपरान्त शिक्षा के अधिकार कानून के बारे में जानकारी दी गई। कुछ महिलाओं ने बताया कि उन्होने इस नियम के तहत अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए आवेदन किया था परन्तु किसी को प्रवेश नहीं मिला। महिलाएं अपने बच्चों को इन स्कूलो में भर्ती कराने में उत्साहित थी, तो कुछ महिलाएं सरकारी स्कूल में किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलने की शिकायत कर रही थीं।

बैठक में महिलाओं के साथ राशन की दुकान व सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई।

पर्चा वितरण कार्यक्रम

बाल अधिकार सप्ताह के दौरान अभियान व अभियान के साथ जुड़ी संस्थाओं द्वारा रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड गणपति प्लाजा, हसनपुरा व एन.बी.सी. एरिया में बाल श्रम, शिक्षा के अधिकार कानून, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में जानकारी देने वाले पर्चो का वितरण किया गया। यह कार्यक्रम 15 से 20 नवम्बर तक प्रतिदिन किया गया।

19 नवम्बर

राज्य स्तरीय कार्यशाला– बच्चो में यौन हिन्सा रोक थाम अधिनियम 2011 तथा जे.जे. एक्ट 2000 में प्रस्तावित संशोधन पर चर्चा

स्थान– इन्द्रिरा गांधी पंचायती राज संस्थान

राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण साझा अभियान व अल्लारिपु खिलती कलियॉ अभियान ने सयुक्त रूप से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित बच्चो में यौन हिन्सा रोक थाम अधिनियम 2011 तथा जे.जे. एक्ट 2000 में प्रस्तावित संशोधन पर चर्चा की गई। इस कार्यशाला में राज्य भर से 65 लोगों ने भाग लिया, जिसमें जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्य तथा स्वयं सेवी संस्था, संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। चर्चा के दौरान निकल कर आये सुझावों को संकलित कर सरकार को भेजा गया।